द्वितीय 'मैनइन्गोज' वैष्विक संगोष्ठी 2014

10–13 नवम्बर, इंडिया हैबिटैट सेंटर, नई दिल्ली

लैंगिक न्याय के लिए पुरुष व लड़केः दिल्ली घोषणापत्र व कार्यवाही के लिए आह्वान

हम प्रगाढ़ असमानताओं और असंतुलित सत्ता संबंधों वाली दुनिया में रहते हैं जहां लोगों के व्यवहार से जुड़े मानक व मूल्य नाइंसाफ़ियों को भड़काते हैं और उन्हें बढ़ावा देते हैं। हमें इसे बदलना होगा। इसी मक़सद को लेकर, 94 देशों के 1200 से भी अधिक कार्यकर्ता/व्यावसायिकों ने, जो विभिन्न संस्थागत पृष्ठभूमि से जुड़े थे, एकजुट होकर द्वितीय 'मैनइन्गेज' वैश्विक संगोष्ठी का नई दिल्ली, भारत में, नवम्बर 10–13, 2014 के दौरान आयोजन किया।

लैंगिक समानता मानवाधिकार का एक महत्वपूर्ण घटक है, जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों में व्यक्त किया गया है, जिसमें प्रमुख रूप से मानवाधिकारों का सार्वभौमिक घोषणापत्र; महिलाओं के ख़िलाफ़ सभी प्रकार के भेदभाव हटाने हेतु संविदा–सीडॉ; नागरिक और राजनैतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञापत्र तथा बाल अधिकारों पर घोषणापत्र, शामिल हैं। हम जनसंख्या व विकास पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2014 के कार्यवाही कार्यक्रम, बीजिंग घोषणापत्र व प्लेटफ़ार्म फ़ॉर एक्शन (1995), महिलाओं के दर्जे पर संयुक्त राष्ट्र आयोग का अड़तालीसवां सत्र (2004) तथा अन्य सभी आवश्यक समझौतों को लागू करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं। हम मैनइन्गेज़ रिओ व जोहनसबर्ग काल फ़ॉर एक्शन 2009 के भी कार्यन्वयन के प्रति अपनी वचनबद्धता की पुष्टि करते हैं। हम भविष्य में होने वाले समझौतों, जिसमें 2015 से आगे का विकास कार्यक्रम भी शामिल है की प्रतीक्षा करते हैं और सबके लिए लैंगिक समानता व लैंगिक न्याय सुनिश्चित करने के प्रमुख प्रयासों में पुरुषों व लड़कों की शिरकत का निरन्तर समर्थन करते हैं।

इस संगोष्ठी में लैंगिक न्याय के मुद्दों की सम्पूर्ण विविधता और जटिलताओं को उजागर किया गया है। इसने हमें चिन्तन करने, रणनीतिगत सोचने, समाज निर्मित सीमाओं के पार जाने और मज़बूत सहभागिता बनाने की चुनौती प्रदान की है। हालांकि कमियां मौजूद हैं पर इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के परिणामस्वरूप तथा अपनी साझी प्रतिबद्धता और कार्यवाही का आह्वान करते हुए हम निम्न सरोकार और प्रतिज्ञापन प्रस्तुत करते हैं।

1. पितृसत्ता और लैंगिक अन्याय समस्त विश्व के समाजों को परिभाषित करने वाली विशिष्टताएं हैं जो सभी लोगों के जीवन पर विनाशकारी प्रभाव डालती हैं। हम कौन हैं और दुनिया के किस हिस्से में हैं इससे कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता, ये हमारे रिश्तों को कम स्वस्थ, कम सुरक्षित और कम परिपूर्ण बनाती हैं। कम उम्र से ही ये हमारे परिवारों और समुदायों में दुख, हिंसा, रोग, नफ़रत और मौत फैलाती हैं। ये हमारे मूल मानवाधिकारों का हनन करती हैं और हमें प्यार, गरिमा, आत्मीयता और आपसी सम्मान का जीवन बसर करने से रोकती हैं। ये हमारी अर्थव्यवस्था के विकास में अवरोधक पैदा करती हैं और हमारे सार्वभौमिक समाज को फलने–फूलने से रोकती हैं। ये दुनिया भर में सतत विकास की राह में आने वाली प्रमुख बुनियादी रुकावटें हैं।

हमें मानवीय खुषहाली के सामने खड़े इस घोर ख़तरे से तुरन्त उबरने की ज़रूरत है।

2. पितृसत्ता हरेक व्यक्ति को प्रभावित करती है, परन्तु अलग–अलग तरीक़ों से। महिलाएं व लड़कियां निरन्तर महत्वपूर्ण और असंतुलित स्तर पर लैंगिक अन्याय और मानवाधिकार हनन का सामना करती हैं। पुरुषों और लड़कों को भी पितृसत्ता से फायदा और नुकसान दोनों ही पहुंचता है, पर उन्हें शायद ही इस सच का पता चलता हो। पुरुष व लड़के भी 'लैंगिक' मानव हैं। लैंगिक समानता महिलाओं, पुरुषों व अन्य लिंगों के व्यक्तियों को फ़ायदे पहुंचाती है।

हमें यह तुरन्त स्वीकारने की ज़रूरत है कि लैंगिक असमानताएं बर्दाष्त नहीं की जाएंगी फिर चाहे इनसे कोई भी प्रभावित हो रहा हो।

3. हम एक मूल्यवान विरासत पर निर्माण कर रहे हैं। हम लैंगिक असमानताओं पर अपनी चेतना, समानता प्रोत्साहित करने के अपने प्रयासों और संगोष्ठी की मौजूदगी का पूरा श्रेय नारीवादी और महिला आंदोलनों के अदम्य साहस और अवलोकन

को देते हैं। हम महिला अधिकार संगठनों के काम के साथ खुद को जोड़ते हैं और पितृसत्ता को कायम रखने वाले सभी सामाजिक, सांस्कृतिक, क़ानूनी, वित्तीय और राजनैतिक संरचनाओं में बदलाव लाने के उनके योगदान को स्वीकार करते हैं।

इस ऐतिहासिक संदर्भ के मद्देनज़र हम पुरुषों व लड़कों के साथ अपने लैंगिक समानता के काम को नारीवादी व मानवाधिकार उसूलों, संगठनों और आंदोलनों से जानकारी हासिल करते हुए, एकजुटता की भावना के साथ जारी रखेंगे।

4. हम लैंगिक न्याय हासिल करने के लिए एक समावेशी पद्धति में विश्वास रखते हैं। हम सभी पुरुष महिलाएं और ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं जो लैंगिक न्याय आंदोलन में भागीदारी करने के लिए सभी लोगों का आह्वान कर रहे हैं। हालांकि पुरुषों व लड़कों को इन प्रयासों में शामिल करना महत्वपूर्ण होता है परन्तु इस बात को अक्सर नज़रअंदाज़ किया गया है।

हम चाहते हैं कि ऐसे तरीक़ों को सामने लाएं जिनसे पुरुष व लड़के महज़ साधन बनकर न रहें बल्कि लैंगिक समानता के प्रयासों में प्रभावषाली योगदान कर सकें।

5. संरचनात्मक नाइंसाफ़ियों और शोषण के पीछे प्रेरक बल पितृसत्तात्मक सत्ता है जिसकी अभिव्यक्ति प्रबल मर्दानगी के माध्यम से होती है। हम विशेष रूप से सैन्यीकरण और नव–उदार भौगोलीकरण की असंख्य अभिव्यक्तियों को लेकर चितिंत हैं जैसे युद्ध, हथियारों में इज़ाफ़ा; वैश्विक और स्थानीय आर्थिक असमानता; राजनैतिक व धार्मिक कट्टरता का हिंसक प्रदर्शन; राज्य हिंसा; नागरिक समाज के ख़िलाफ़ हिंसा; मानव खरीद–फरोख़्त व्यापार तथा प्राकृतिक संसाधनों का विनाश।

हमें पितृसत्ता तथा लोगों व पर्यावरण के षोषण के बीच संबंध को फौरन उजागर करना होगा तथा लड़कों व पुरुषों को खुद में बदलाव लाने के लिए सहयोग देना होगा जिससे वे "उनके ऊपर सत्ता" को छोड़कर 'उनके साथ सत्ता' के व्यवहार को अमल में ला सकें।

6. लैंगिक असमानताएं नस्ल, उम्र, वर्ग, जाति, जातीयता, राष्ट्रीयता, यौन झुकाव, लैंगिक पहचान, धर्म, क़ाबलियत व अन्य कारकों पर आधारित असमानताओं से संबंधित होती हैं। हम अपनी दुनिया की विविधता का मोल समझते हैं और इन विभाजित करने वाली नाइंसाफ़ियों को इन कारकों से अलग करके नहीं देख सकते।

हम सामाजिक न्याय के आंदोलनों के साथ अर्थपूर्ण भागीदारी, गहन साझेदारी तथा साझी कार्यवाहियों के ज़रिए सामाजिक व आर्थिक समावेष को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

7. यह ज़रूरी है कि हम सब लैंगिक न्याय के मूल्यों को अपने जीवन में उतार लें। इसके लिए ज़रूरी है कि पुरुष व लड़के खासतौर पर अपनी सत्ता और सुविधाओं पर एक विवेचनात्मक चिंतन करें और निजी तौर पर लैंगिक न्याय पालन करने वाले पुरुष का नज़रिया विकसित करें। इसके लिए हम सबको गहन व्यक्तिगत और राजनैतिक इरादों पर अपना काम आधारित करना होगा। जब और जहां भी हममें से कोई एक व्यक्ति भी कहता कोई एक बात है और व्यवहार उससे ठीक विपरीत करता है वहीं बुनियादी रूप से हमारे मक़सद की तौहीन होती है। हमें निजी और सार्वजनिक दोनों जगहों पर दूसरों के अन्यायपूर्ण व्यवहार के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए; किसी नाइंसाफ़ी के सामने ख़ामोश रहने के मायने हैं कि हम भी उस अन्यायी कार्यवाही का समर्थन कर रहे हैं।

हमारे विचारों, व्यवहारों, संबंधों और संगठनात्मक संरचनाओं में उस दुनिया का अक्स झलकना चाहिए जिसे हम विष्व स्तर पर देखना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए हमें खुद को तथा अपने दोस्तों, रिष्तेदारों, सहकर्मियों और साथियों को जवाबदेह बनाना होगा।

8. लैंगिक न्याय के काम में पुरुषों व लड़कों की शिरकत बढ़ाने के प्रयासों से यह काम ज़्यादा व्यापक बनता है। पर इसका अर्थ यह नहीं है कि हम अन्य प्रभावशाली कार्यनीतियों में, विशेषकर जो महिला अधिकार संगठनों द्वारा अपनाई जा रही हैं निवेश करने से परहेज़ करें। हम अपने गठबंधन को कमज़ोर करने या समपूरक लैंगिक न्याय पद्धतियों को एक दूसरे के सामने प्रतिस्पर्धा करने के प्रयासों को अस्वीकार करते हैं। हम विविध संगठनों के प्रतिनिधि हैं और हम अनेक समपूरक पद्धतियों का अनुसरण करते हैं। हम एक दूसरे के साथ एकजुट होकर खड़े हैं और लैंगिक न्याय के व्यापक काम के साझे अवलोकन को सशक्त बनाने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं।

हम सभी दाता संगठनों और नीति निर्माताओं से अनुरोध करते हैं कि वे लैंगिक न्याय के काम के लिए उपलब्ध संसाधनों में प्रभावषाली बढ़ोत्तरी करे तथा सभी विकास कार्यक्रमों में कारगर लैंगिक न्याय कार्यनीतियां षामिल करें।

9. लैंगिक न्याय के काम में पुरुषों व लड़कों की शिरकत बढ़ाने के लिए विशिष्ट नीतिगत व कार्यवाही क्षेत्रों में प्रमुख रूप से शामिल पक्ष हैं– लिंग आधारित हिंसा; महिलाओं के ख़िलाफ़ हिंसा; लड़कियों के विरूद्ध हिंसा; लड़के व विपरीत लिंगी बच्चे; पुरुषों व लड़कों के बीच हिंसा; सशस्त्र संघर्ष के दौरान हिंसा; मानवाधिकार रक्षकों के ख़िलाफ़ हिंसा; देखभाल और पितृत्व; लिंग और सार्वभौमिक राजनैतिक अर्थव्यवस्था; यौन व प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार; यौन व लैंगिक विविधता व यौन अधिकार (एलजीबीटीआईक्यू) लड़कों व पुरुषों की लैंगिक कमज़ोरियां व स्वास्थ्य संबंधी ज़रूरतें; यौन शोषण; एचआईवी व एड्स; युवा व किशोर; शिक्षा खंड; धार्मिक व अन्य नेताओं के साथ काम; पर्यावरण व सत्तता; तथा साक्ष्य आधार की सशक्तता।

10. 2015 के बाद के विकास कार्यसूची में मानव अधिकार पद्धति अपनानी चाहिए और साथ ही असमान सत्ता संबंधों में भी बदलाव किया जाना चाहिए। हमारा विश्वास है कि लैंगिक न्याय हासिल करने के लिए लड़कों व पुरुषों को, महिलाओं व लड़कियों, खुद लड़कों व पुरुषों, सभी यौन झुकाव और लैंगिक पहचानों वाले व्यक्तियों के फ़ायदे के लिए शामिल किया जाना चाहिए। एक न्यायसंगत, सुरक्षित और सतत विश्व के निर्माण के लिए।

हम सभी कार्यकर्ताओं, नागरिक समाज संगठनों, निजी खंड सहभागियों, सरकारों व संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों से इन नियमों को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करने की गुज़ारिश करते हैं और यह भी अपील करते हैं कि सभी यह सुनिश्चित करें कि नई अंतर्राष्ट्रीय विकास कार्यसूची न्यायसंगत और समावेशी बने।

दिल्ली से कार्यवाही के लिए आह्वान

रिक्तियों को संबोधित करने के लिए उदाहरण

पुरुषों व लड़कों के साथ काम को कार्यक्रम और परियोजना स्तर से नीति व संस्थानों तक ले जाना।

व्यक्तिगत ही राजनैतिक है व राजनैतिक ही व्यक्तिगत होता है। बदलाव की गति तेज़ करने, व्यक्तिगत से संरचनात्मक तक पहुंचने के लिए अधिक संख्या में पुरुषों व लड़कों तक पहुंच बनाने की ज़रूरत होती है। हमें ऐसी व्यवस्थाएं बनानी होंगी जो संस्थानों व व्यक्तियों की लैंगिक समानता के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करें। हमें व्यवस्थाओं और संस्थानों में परिवर्तन लाना होगा जिसमें सरकार, स्कूल, परिवार, स्वास्थ्य खंड व कार्यस्थल शामिल हो क्योंकि ये लैंगिक मानक बनाने और उन्हें बरकरार रखने में अहम भूमिका निभाते हैं और इनमें ज़्यादा लोगों तक पहुंचने की क्षमता होती है।

हम व्यवस्थाओं और संस्थानों के पुनरीक्षण की भी मांग करते हैं जिसमें शिक्षा व प्रशिक्षण, कार्यस्थल से संबंद्ध व्यवहार व नीतियों, क़ानून, सार्वजनिक जगहों का प्रशासन, आस्था आधारित संस्थानों का संचालन तथा मौजूदा सामाजिक मानक शामिल हैं।

नीतिगत व क़ानूनी सुधारों से घरों, दफ़्तरों, फैक्ट्रियों व खेतों, सरकारों व सड़कों पर अधिक लैंगिक समान संबंधों को स्थापित किया जा सकता है। इसलिए हमें:–

1. लैंगिक समानता में पुरुषों व लड़कों को जोड़ने के लिए नीतियों का विकास, कार्यान्वयन और निगरानी तथा इन नीतियों को लागू करने के लिए राज्य क्षमता का निर्माण करना होगा।

2. लैंगिक असमानताओं के सामाजिक व संरचनात्मक मापदंडों को संबोधित करने वाली संस्थागत व सरकारी नीतियों को (एडवोकेसी) वकालत के माध्यम से सक्रिय प्रोत्साहन देना होगा।

3. कर्मचारियों को इन नीतियों को लागू करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

4. पुरुषों व लड़कों की लैंगिक भूमिकाओं संबंधी नज़रिए को बदलने के लिए सार्वजनिक चेतना अभियानों की शुरूआत की जानी चाहिए।

लिंग–निष्पक्ष सामाजीकरण को प्रोत्साहनः

हम लड़कियों व लड़कों के छोटी आयु से ही शुरू हो जाने वाले लैंगिक सामाजीकरण को लेकर बेहद चिंतित हैं, जो उन्हें अपनी पूरी संभावनाओं और अधिकारों का उपयोग करने से वंचित रखते हैं। हम गहन रूप से इस बात पर विश्वास करते हैं कि माता पिता विशेषतः पिताओं को घरों व स्कूलों से शुरू करके, लड़कों के सामने संवेदनशील, निष्पक्ष व न्यायसंगत व्यवहार की मिसाल पेश करनी चाहिए।

लड़कों तक उनके बाल्य अवस्था में ही पहुंच बढ़ाना बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसा करने से हम महिलाओं, बच्चों, पुरुष व विपरीत लिंगी व्यक्तियों के प्रति सकारात्मक व्यवहार करने वाली एक नई पीढ़ी को तैयार कर पाएंगे। लड़कों व लड़कियों को उनके बचपन के दौरान ही संवेदनशील बनाना व किशोरों को इस काम में शामिल करने पर ही हम उन्हें लिंग संवेदनशील, न्यायसंगत एवं परवाह करने वाले व्यस्क बनने के लिए तैयार कर सकते है।

लैंगिक न्याय संबंधी विशिष्ट नीति क्षेत्र व कार्यवाहियां जिनमें लड़कों व पुरुषों को जोड़ा जा सकता है के उदाहरणों में निम्न शामिल हैं:–

1. बच्चों व युवाओं को हिंसा का चक्र तोड़ने के लिए लिंग परिवर्तनशील व्यवहार विकसित व प्रोत्साहित करने के लिए सशक्त बनाना और उन्हें बतौर बदलाव प्रतिनिधि संघटित करना।

2. स्कूली पाठ्यक्रम में समग्र रूप से यौन शिक्षा व लिंग आधारित हिंसा के बचाव की प्राथमिक जानकारी जिसमें मानवाधिकार, लैंगिक समानता, यौन व प्रजनन स्वास्थ्य व अधिकार भी शामिल हों का विशद विकास।

3. लैंगिक पूर्वाग्रह को चुनौती देने वाले तथा आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करने वाले पाठ्यक्रम का विकास।

4. शिक्षकों व प्रशासकों का लिंग संवेदनशील सीखने का माहौल बनाने के लिए प्रशिक्षण।

5. सामाजिक पारिस्थितिक शास्त्र व जीवनचक्र कार्यनीतियों का बच्चों के साथ बचपन से युवावस्था तक उपयोग जिससे वे लिंग संवेदनशील, समान व परवाह करने वाले व्यस्क बन सकें।

लिंग आधारित हिंसा से बचाव में लड़कों व पुरुषों की भागीदारीः

अधिकतर लिंग आधारित हिंसा को बरकरार रखने में सबसे अहम भूमिका पुरुषों व लड़कों की होती है फिर चाहे इससे उनको खुद कितना नुकसान क्यों न पहुंचे। कठोर लैंगिक मानक लड़कों व पुरुषों को संघर्षों का जवाब हिंसा से देने व अपने साथियों पर नियंत्रण करने के लिए तैयार करते हैं। एक ही समय पर पुरुष व लड़के हिंसा के अपराधी व भुक्तभोगी दोनों होते हैं। पुरुषों द्वारा लिंग आधारित हिंसा को कायम रखने के पीछे एक अहम कारण है अपने बढ़ते हुए सालों में निरन्तर हिंसा होते देखना या उसका अनुभव करना। लिंग आधारित हिंसा के सामाजिक मानक को बदलने के लिए पुरुषों व लड़कों के साथ काम करना ज़रूरी है जिससे उनके द्वारा देखी या अनुभव की गई हिंसा के प्रभाव कम किए जा सकें और जिसमें लैंगिक असमानता के बुनियादी कारणों, असमान सत्ता संबंधों, महिलाओं व लड़कियों के साथ होने वाले भेदभाव को कायम रखने वाले पूर्वाग्रह व रिवाज, यौन अल्प–संख्यक व विपरीत लिंगी व्यक्तियों तथा लड़कों के लिए वैकल्पिक 'रोल मॉडल' को प्रोत्साहित करने जैसे विषयों पर समझ बनाना व उन्हें संबोधित करना भी शामिल हैं।

लैंगिक न्याय संबंधी विशिष्ट नीति क्षेत्र व कार्यवाहियां जिनमें लड़कों पुरुषों को जोड़ा जा सकता है के उदाहरण में निम्न शामिल हैंः–

1. पुरुषों व लड़कों को अपने निजी जीवन में अधिक न्यायसंगत बनने तथा हिंसा के हर रूप जिसमें घरेलू हिंसा तथा नुकसानदायक रिवाज जैसे बाल विवाह, जबरन विवाह, लिंग आधारित गर्भ परीक्षण व स्त्री जननांग विकृति शामिल हैं, को अस्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करना।

2. पुरुषों व लड़कों को अधिक व्यापक व संरचनात्मक असमानताओं पर सवाल उठाने के लिए प्रोत्साहित करना।

3. पुरुषों व लड़कों की ओर लक्षित लिंग आधारित हिंसा से प्राथमिक बचाव संबंधी नीतियों को प्रोत्साहित करना।

4. महिलाओं व लड़कियों के लिए सार्वजनिक जगहों को हिंसामुक्त बनाने में पुरुषों व लड़कों को जोड़ने वाली नीतियों का विकास।

5. हिंसा करने वाले पुरुषों के लिए न्याय खंड व पीड़ितों की पैरवी से जुड़े समग्र कार्यक्रम बनाना; बंदूक नियंत्रण कार्यक्रम का कार्यान्वयन; तथा हिंसा के 'सर्वाइवर्स' और साक्षी व्यक्तियों के लिए क़ानूनी, वित्तीय, मनोवैज्ञानिक व सामाजिक सहयोग मुहैया कराना।

अवैतनिक देखभाल के कामों में समान भागीदारी निभाने के लिए पुरुषों को बतौर पिता व देखभालकर्ता (केयरगिवर) षामिल करनाः

यह प्रमाणित है कि जब पिता प्रारम्भिक अवस्था से जिसमें जचगी–पूर्व अवधि भी शामिल है, बच्चों की देखभाल से जुड़ते हैं तो इस बात की संभावनाएं बढ़ जाती हैं कि वे आजीवन अपने बच्चों के साथ जुड़ाव बनाए रखेंगे। चूंकि अक्सर देखा गया है कि पुरुषों व लड़कों की तुलना में महिलाएं लड़कियां दस गुना अधिक देखभाल का काम करती हैं लिहाज़ा देख–रेख के काम में पुरुषों व लड़कों की तथा महिलाओं की समान वेतन के साथ वेतनयुक्त कामों में बराबर से भागीदारी को बढ़ावा देने की ज़रूरत है। ऐसा तभी संभव हो सकता है जब देखभाल के कामों में दोनों की साझी भागीदारी हो।

लैंगिक न्याय संबंधी विशिष्ट नीति क्षेत्र व कार्यवाहियां जिनमें लड़कों व पुरुषों को जोड़ा जा सकता है के उदाहरणों में निम्न शामिल हैंः–

1. सार्वजनिक सेवाओं, आधारभूत सुविधाओं व सामाजिक सुरक्षा नीतियों की उपलब्धि तथा घर व परिवारों में साझी ज़िम्मेदारी का प्रोत्साहन।

2. अवैतनिक देखभाल के काम में कमी व उसका पुनः बंटवारा जिससे महिलाएं अन्य कामों जैसे अपनी खुद की देखभाल, शिक्षा, राजनैतिक भागीदारी व वेतनयुक्त काम कर सकें; तथा देखभाल के कामों की ज़िम्मेदारी को गरीब घरों से लेकर राज्य के हाथों में वित्तीय, नियंत्रण और देखरेख सुविधाओं के माध्यम से पुनर्वितरित करना।

3. पुरुषों व महिलाओं के बीच देखभाल संबंधी कामों का समान बंटवारा करना जिससे महिलाओं व लड़कियों के हिस्से में आने वाले देखभाल के काम के बेमेल बंटवारे को बरकरार रखने वाले रवैयों को बदला जा सके।

4. प्रगतिशील पितृत्व–अवकाश नीतियों को बढ़ावा दिया जा सकता है।

5. सार्वजनिक तौर पर पिता बनने से जुड़ी तैयारी वाले कोर्स और अभियानों को बढ़ावा देना जिनमें बच्चों के जीवन में पिता की भूमिका की अहमियत तथा पुरुषों के मन में देखभाल से जुड़ी भावनाएं जैसे तैयारी में कमी को दूर करने तथा अधिक भागीदारी से पहुंचने वाले फायदों को पहचानने में मदद मिलेगी।

यौन व प्रजनन स्वास्थ्य व अधिकारों में बदलाव लाने वाले सकारात्मक कर्ता, उपभोक्ता और सहयोगी भागीदार के रूप में पुरुषों का जुड़ावः

दुनिया भर में यौन व प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारों की पूरी ज़िम्मेदारी महिलाओं की समझी जाती है जबकि पुरुष यौन व प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारों से जुड़ी अपनी, अपने साथियों व परिवारों की ज़रूरतों व ज़िम्मेदारियों की उपेक्षा करते रहते हैं। पुरुषों द्वारा यौन व प्रजनन अधिकार सेवाओं का कम उपयोग जैसे एचआईवी परीक्षण और इलाज के कारणों में सख्त लैंगिक मानक तथा संरचनात्मक रुकावटें जैसे पुरुष विशिष्ट स्वास्थ्य मुद्दों को संबोधित करने के लिए अच्छी सुविधाओं वाले जांच केन्द्रों की कमी प्रमुख हैं। नतीजतन, महिलाओं व लड़कियों को न सिर्फ़ अपना और अपने परिवारों का बोझ उठाना पड़ता है बल्कि पुरुषों की भागीदारी में कमी की वजह से स्वास्थ्य व्यवस्था पर अनावश्यक और भारी बोझ भी पड़ता है। यौन व प्रजनन स्वास्थ्य व अधिकारों पर पुरुषों के साथ हस्तक्षेप करने से पुरुषों द्वारा सेवाओं के उपयोग में प्रभावशाली बढ़त होने पर उनमें अपने साथियों के यौन व प्रजनन स्वास्थ्य व अधिकारों के प्रति सहयोग व सम्मान देखने को मिलता है जिससे महिलाओं, बच्चों व खुद पुरुषों के स्वास्थ्य बेहतर बनते हैं।

लैंगिक न्याय संबंधी विशिष्ट नीति क्षेत्रों व कार्यवाहियां जिनमें लड़कों व पुरुषों को जोड़ा जा सकता है, के उदाहरणों में निम्न शामिल हैंः–

1. महिलाओं के यौन व प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं व अधिकारों तक पहुंच को बढ़ाना।

2. यौन व प्रजनन स्वास्थ्य परिणामों को आकार देने वाले सख्त मानकों में बदलाव लाने के लिए पुरुषों व लड़कों को साथ जोड़ना और उन्हें उनकी अपनी यौन व प्रजनन स्वास्थ्य ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए आवश्यक सेवाएं व जानकारी हासिल करने के लिए सक्षम बनाना।

3. लैंगिक मानकों, स्वास्थ्य संबंधों व सत्ता असमानताओं का आलोचनात्मक चिंतन प्रोत्साहित करने वाली व्यापक यौन शिक्षा उपलब्ध करना।

4. यौन व प्रजनन व्यवहारों व अधिकारों में पुरुषों व लड़कों की साझी ज़िम्मेदारियों को बढ़ावा देना।

5. यौन संक्रमण से बचाव के लिए और/अथवा पुरुष गर्भ निरोधक तरीक़ों की उपलब्धि व उपयोग का विस्तार करना।

6. जचगी पूर्व व बाल स्वास्थ्य सेवाओं में पुरुषों की ज़िम्मेदारी स्थापित करने के लिए जगहें बनाना तथा उनका उपयोग करना।